to adjust. Based on the experience, we might try and consider if there is any element to be brought in for the States which do not have any system of communication, other than road, or, which are backward.

श्री मूलचन्द मीणा: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने कितनी सड़कों के प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं और उनके आधार पर जो प्रस्ताव आपने सैंक्शन नहीं किए, क्या वे मापदंडों पर आधारित नहीं थे। यदि मापदंडों पर आधारित हैं तो क्या राजस्थान सरकार के द्वारा भेजे गए सारे प्रस्तावों को आप मंजूरी देंगे?

श्री सभापति: यह इसमें कहां आता है?

श्रीमती जमनादेवी बारपाल: महोदय, मैं इनका समर्थन करती हूं। सभापति महोदय, आप स्वयं राजस्थान के हैं।..(व्यवधान).. राजस्थान आज सबसे ज्यादा पीड़ित है। मैं मीणा जी का और आप सब लोगों का समर्थन करूंगी कि पहले प्रायोरिटी हमारे राजस्थान को दी जाए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी: माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को प्रायोरिटी दी जा रही है और जो सवाल आपने पूछा है, उसका जवाब तो प्रश्न में है। राजस्थान ने 188 काम हमें सैंक्शन करने के लिए दिये हैं। हमें अगर उनसे कोई सवाल-जवाब पूछना होता है तो उसके आधार पर पूछते हैं वरना ऐसा नहीं होता है। अगर वह मानकों के अंदर है तो हम उसको रिजैक्ट नहीं करते हैं लेकिन अगर मानकों में नहीं है, जैसे नैशनल हाइवे या रूरल रोड्स पर इनको पैसा नहीं दे सकते। मैंने जो आपको दो-तीन बातें बतायीं, हम सिर्फ वही चैक करते हैं और उनके आधार पर प्रदेश से सलाह-मशवरा करके उनके सब काम स्वीकार करते हैं।

Changes in licensing agreement

*424. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) wether it is a fact that Government have changed the clauses of the licensing agreement signed with private cellular players;

(b) if so, the details thereof; and

(c) who are the beneficiaries from the private sector?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Licenses for Cellular Mobile Telephone Service (CMTS) have been granted to private operators as a result of tenders received in three phases in the year 1992, 1995 and 2001. Amendment to the clauses of the License Agreement have been carried out from time to time as per the emerging requirements. Salient features of the amendments carried out so far are given in the Statement-I (*See* below).

(c) These amendments to License Agreements have been uniformly applied to all the Licenses and therefore, all the Licensees are beneficiaries; list of Licensees indicating the Service Area of each Licensee is at Statement-II.

Statement-I

Salient Features of the Amendments to License Agreement

(i) By an amendment dated 23.10.1997 transfer or assignment of License in accordance with conditions of Tripartite Agreement amongst Licensor, Licensee and Lenders,was permitted. This was to facilitate financing of projects by the Lenders.

(ii) By an amendment dated 23.10.1997, the limit on external/ international commercial borrowing imposed in the Licence was modified to be in accordance with the guidelines issued on the subject from time to time by Ministry of Finance, Government of India.

(iii) By an offer of Migration Package made in July, 1999, the existing Licensees were migrated from fixed license fee regime to the revenue sharing arrangement under New Telecom Policy, 1999. The main features of this Migration are as below:

(a) The licence period was extended from 10 years to 20 years.

(b) Change from duopoly to multipoly regime with effect from 1.8.1999 i.e. the Licensees surrendered their right to operate in a duopoly regime (of only two private operators) with the condition that any number of additional private operators can be inducted.

(c) Change from fixed licence fee as committed at the time of grant of licences to licence fee as percentage of revenue earned. The licence fee at present for category 'A' . 'B' and 'C' Service Areas is 12%, 10% and 8% of 'Adjusted Gross Revenue' respectively, inclusive of Universal Service Obligation (USO), apart from separate charges for use of Wireless Frequency Spectrum.

(d) Migration Package is deemed as a full and final settlement of all disputes whatsoever, upto the cut off date of migration irrespective of whether they are related with the Migration Package or not.

(iv) By an Order dated 1.10.1999 the Cellular License was made technology-neutral; earlier to this it was mandatory for the Licensees to use Global System of Mobile Communications (GSM) technology.

(v) By an amendment dated 25.09.2001 transfer or assignment of licence was permitted in the situation of merger of licensee companies if approved by a High Court so long as competition is not compromised.

(vi) By an order dated 1.2.2002 allocation of additional specturm beyond 6.2 MHz on payment of additional spectrum charges, subject to availability of the spectrum and justification, was permitted.

Statement-II

Names and Service Areas of Cellular Mobile Telephone service Licensee Companies as on 12.12. 2002

Sl.No.	Name of the Company	Metro City/Telecom Circle Service Area
1	Aircel Limited	Tamil Nadu
2	Aircell Digilink India Ltd.	Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh (East)
3	Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)	All Service Areas in India except Delhi and Mumbai Metro City Service Areas.
4	Bharti Cellular Ltd.	Delhi, Mumbai, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh (West)

Sl.No.	Name of the Company	Metro City/Telecom Circle Service Area
5	Bharti Mobile Limited	Andhra Pradesdh, Punjab, Karnataka
6	Bharti Mobinet Ltd.	Chennai
7	Bharti Mobitel Ltd.	Kolkata
8	Bharti Telenet Ltd.	Himachal Pradesh
9	BPL Mobile Cellular Ltd.	Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu
10	BPL Mobile communications Ltd.	Mumbai
11	BTA Cellcom Ltd.	Madhya Pradesh
12	Escorts Telecommunications Ltd.	Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (East), Himachal Pradesh
13	Escotel Mobile Communications Pvt. Ltd	Haryana, Kerala, Uttar Pradesh (West)
14	FASCEL Ltd.	Gujarat
15	Hexacom India	Rajasthan, North East
16	Hutchinson Essar South Limited	Chennai, Andhra Pradesh, Karnataka
17	Hutchison Max Telecom Pvt. Ltd.	Mumbai
18	Idea Cellular Ltd.	Delhi, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra
19	Mahanagar Telepone Nigam Limited (MTNL)	Delhi, Mumbai
20	Reliable Internet Services Limited	Kolkata
21	Reliance Telecom (P) Ltd.	Assam, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, North East, West Bengal
22	RPG Cellular Services Ltd.	Chennai
23	Spice Communications Ltd.	Punjab, Karnataka
24	Sterling Cellular Ltd.	Delhi
25	Usha Martin Telekom Ltd.	Kolkata

श्री संजय निरूपम: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और समय-समय पर जो परिवर्तन हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों के बारे में बताया है। लेकिन कुछेक संशोधन उन्होंने छुपा दिये हैं। वह छुपा दिये हैं या सचमुच संशोधन हुए ही नहीं, मुझे नहीं पता। इसलिए थोड़ा सी भूमिका बताना चाहता हूं। एन टी पी 99 यह कहता है कि "बेस्ड आन दी इमीजेटली अवेलेबल फ्रीक्वैंसी स्पैक्ट्रम...

श्री सभापति: अगर आप स्वयं श्योर नहीं है कि छिपा दिये या थे ही नहीं तो फिर उसमें प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है

श्री संजय निरूपम: यह तो मंत्री महोदय बताएंगे।

श्री सभापति: तो वे बता देंगे, आप छिपाए हैं क्यों कह रहे हैं?

श्री संजय निरूपम: सर, पहले उन्हें बताने तो दीजिए सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप मेरी अनुमति लें लेकिन अगर प्रश्न से रैलेवेंट हो तो मैं अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

श्री संजय निरूपम: सभापति महोदय, अगर मैं इरैलेवेंट प्रश्न पूछूं तो मुझे आप सदन से बाहर भगा दीजिए लेकिन मुझे प्रश्न ढंग से पूछने तो दिया जाए। सभापति महोदय, एनटीपी 99 में है कि हर सर्विस एरिया में सिर्फ दो सैल्युलर आपरेटर हो सकते हैं और तीसरा आपरेटर पब्लिक सैक्टर यूनिट से यानी एमटीएनएल या वीएसएनएल से आएगा। अगर टीआरएआई उसको उचित समझती है तो चौथा आपरेटर प्राइवेट सैक्टर से आ सकता है। पिछले दो-तीन वर्षों में यह व्यवस्था हुई है कि इन दो आपरेटर्स के अलावा पब्लिक सैक्टर्स यूनिट से मुम्बई और दिल्ली छोड़ दें तो एमटीएनएल ने अपनी सर्विसेज शुरू की हैं, लेकिन एक चौथा आपरेटर और आया, उसे हिन्दुस्तान के कई राज्यों में और शहरों में एलाऊ किया गया। क्या उसे किसी संशोधन के तहत एलाऊ किया गया दूसरी बात है, अगर उसे किसी संशोधन के तहत एलाऊ नहीं किया गया, एक पार्टिकुलर मोबाइल कम्पनी को जिस तरह से कई राज्यों में काम करने का मौका दिया गया, उससे स्पैक्टरल एलोकेशन की जो हमारी नीति थी, क्या उस नीति का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप बार-बार इस तरह से देखेंगे तो मैं सवाल ही भूल जाऊंगा।...(व्यवधान)... यह टैक्नीकल विषय है, मुझे शांति से पूछने दीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मोबाइल आपरेशन में स्पैक्टरल एलोकेशन बहुत मायने रखता है। अगर स्पैक्टरल एलोकेशन मायने रखता है, यही सोचकर दो-दो आपरेटर्स एलाऊ किए गए थे। आज स्थिति यह है कि चौथा आपरेटर भी आ गया है। कई राज्यों ने बगैर पब्लिक सैक्टर यूनिट के आपरेशन शुरू किए हुए, चौथे आपरेटर को एलाऊ किया गया। यह किस संशोधन के तहत और किस नीति के तहत किया गया?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि मूल प्रश्न तो लाइसेंस की शर्तों में हमने कोई परिवर्तन किया या नहीं, इसकी जानकारी के संबंध में था। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने सदन से कुछ नहीं छिपाया है। जितने लाइसेंस में परिवर्तन हुए हैं, उसकी विस्तार से सूची हमने सदन के सामने रखी है। फिर भी इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, इसका लाइसेंस के परिवर्तन से

संबंध नहीं है। ये नीति के संबंध में बात कर रहे हैं, लाइसेंस की शर्तों के संबंध में बात कर रहे हैं। मैं सदन को और माननीय सदस्य को इतना ही बताना चाहूंगा कि जो एनटीपी-99 है, उसमें नम्बर आफ आपरेटर्स कोई फिक्स नहीं थे। इसलिए हम चाहें तो देश में दो, तीन, चार और पांच सेल्युलर आपरेटर कर सकते हैं।

श्री संजय निरूपम: मैं एनटीपी पढ़कर सुना देता हूं,

> "Based on the immediately available frequency spectrum band, apart from the two private operators, already licensed, DoT/ MTNL would be licensed to be the third operator in each service area in case they want to enter, in a time bound manner. In order to ensure level playing field between service providers in similar situations, licence fee would be payable by DoT also. However, DoT is the national service provider having immense rural and social obligations, the Government will reimburse full licence fee to the DoT.

इसका यह मतलब हुआ कि दो आपरेटर्स फिक्स थे, यह एनटीपी-99 में दिया है। तीसरा आपरेटर अगर कोई आएगा तो वह पब्लिक सैक्टर यूनिट से आएगा। परसों इनका यह बयान आया कि डब्लूएलएल के माध्यम से अगर रिलायन्स आता है, अगर मोबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अगर वे अनलिमिटेड मोबिलिटी चाहते हैं तो उनको एक्सट्रा स्पैक्ट्रम दिया जा सकता है, एक हजार करोड़ पेमेंट करना पड़ेगा और मैं इनको पांचवां और छठा आपरेटर करके एलाऊ कर सकता हूं। यह बयान माननीय मंत्री महोदय का शनिवार को मुम्बई में आया है।

श्री सभापति: अब इनके दोनों सप्लीमेंट्री हो गए हैं।

श्री प्रमोद महाजन: सर, एनटीपी का जो इन्होंने उल्लेख किया है, Apart from two the third operator की उसमें केवल जानकारी है। अगर वे शांति से सुनें तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, चौथा, पांचवां और छठा आपेरटर लाने पर पाबंदी नहीं है। नियम इतना ही है कि जैसे सुखराम जी के जमाने में जो नीति शुरू हुई, उसमें दो आपरेटर थे। फिर पब्लिक सैक्टर आपरेटर आया। जब चौथे आपरेटर को आना है तो, Telecom Regulatory Authority is consulted और उनकी सलाह पर हम तय करते हैं कि देश में प्रतिस्पर्धा के अनुसार चौथे अपरेटर की जरूरत है या नहीं है। उसके अनुसार चौथे आपरेटर की जरूरत Telecom Regulatory Authority की मान्यता से जब इन्होंने कहा है कि तो उसके अनुसार हमने चौथे आपरेटर का आक्शन किया और हर सर्किल में जो मिला, वह चौथा आपरेटर सेल्युलर पर है। अब अंतिम बात रहीं पांचवें, छठे और सातवें आपरेटर की, हमारी सरकार में यह राय है कि टेलीफोन के सभी क्षेत्रों में बेसिक टेलीफोन जो

लैंड लाइन का है, डब्लूएलएल का टेलीफोन है, हर क्षेत्र में हमने प्रतिस्पर्धा पर संख्या का बंधन नहीं रखा है। जो चाहे, मिनिमम पैसा देकर आ सकता है, हिम्मत है तो बाजार में चला ले, नहीं तो जीत जाए, हार जाए, हमने खुली प्रतिस्पर्धा रखी है। एक सेल्युलर है जिसमें अभी तक चार आपरेटर हैं इसलिए सरकार ने Telecom Regulatory Authority से इस बात पर सलाह मांगी है कि हम पांचवें, छठे और सातवें आपरेटर को भी इसमें खोल देना चाहते हैं। अगर सारे क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्द्धा है तो सेल्युलर में ही मर्यादित प्रतिस्पर्द्धा होने का कोई अर्थ नहीं बनता। जब टेलीकॉम रेग्युलेट्री अथॉरिटी की इसमें अनुशंसा प्राप्त हो जाएगी तब उसके अनुसार हम काम करेंगे।

श्री संजय निरूपम: सभापति जी, मेरा ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं आपका सप्लीमेंट्री हो गया है।

श्री संजय निरूपम: सभापति जी, मेरा सप्लीमेंट्री है।

श्री सभापति: नहीं, आप ने दो कर लिए हैं।

श्री संजय निरूपम: सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से यह बताना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, अनुमति नहीं है इसमें ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम: जो संपत्ति है, उसके ऊपर से ...(**व्यवधान**)... प्राइवेट सैक्टर में हो सकता है लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा प्रतिस्पर्द्धा की बात करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम है, आपकी जो लिमिटेड संपत्ति है उस पर असर पड़ेगा। आप जब ...(**व्यवधान**)... इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी के हिसाब से ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन कर लीजिए दूसरा ...(**व्यवधान**)... अब मत कीजिए ...(**व्यवधान**)... आप ज्यादा मत कीजिए। आपने बहुत कर लिया है।

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। हम जब किसी को लाइसेंस देंगे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होगा उसके आधार पर देंगे। लाइसेंस देते समय यदि मैंने किसी कम्पनी को स्पेक्ट्रम होगा उसके आधार पर देंगे। लाइसेंस देते समय यदि मैंने किसी कम्पनी को स्पेक्ट्रम नहीं दिया तो वह कंपनी मुझे हजारों करोड़ रुपए किसलिए देगी ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम: और इसमें ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन: देखिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए इसलिए। Spectrum availability is always critical. But if we have spectrum we want unlimited competition

in every sector of telecom industry, including cellular. Every licence is subject to limited spectrum. I am trying my level best to get more and more spectrum, which is locked in different Departments of the Government, which is not used properly. It is my job to ensure optimum use of spectrum by getting it from the Home Ministry, the Defence Ministry, etc., and its commercial utilisation for the people of this country. I am trying to do that. There is nothing wrong in it.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, will the hon. Minister inform the House when the NTP-94 was announced, when the cellular field was thrown open to the private sector, whether there was a clear understanding that only two licences would be provided in each circle? At that time, the bidders had considered the competition and based on the competition from two players they had bid and paid licence fee. Later you keep on changing the rules, the goal posts. Now, you should realise by saying that there will be unlimited competition, you are depressing the prices, of bids that are coming. If there is limited Competition of three, four or five, the price would be higher. If there is unlimited competition, you are deliberately depressing the prices of the bids that are expected. Please clarify.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, NTP-94 envisages, as he said, two players, which went ahead by giving licence. Thereafter, NTP-99 came. Thereafter, a Migration Package came to the same licence holders. They were dying to get this Migration Package and move from a licence regime to a revenue sharing regime. It was the unanimous demand of the two operators in every circle. (*Interruptions*)... Let me complete. I can answer one more question if he permits you. Don't interrupt my thought process. मेरा टेलीफोन बीच में कट मत कीजिए।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Don't mislead the House.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: So, when the NTP-99 came, during the five years, they did not pay the licence fees. There were huge dues. The whole industry was almost on the verge of becoming bankrupt. So, the Government came out with a proposal asking them to pay the dues till then—I don't remember the exact date; it was in October 1998 or 1999—and if all of them pay all the dues and withdraw their litigation, they would be moved from a licence regime to a revenue-sharing regime. Moving from a liceence regime to a revenue-sharing regime was done with the consensus of the industry which they accepted and free competition was part of revenue-sharing regime. Today, we don't have any licence fee. We

don't ask a cellular operator to pay the fee.We ask a cellular operator to pay a certain revenue which he is earning. I would like to reduce it as much as possible to save the telecom industry from the worldwide recession. Today, they pay a revenue share. If they are paying a share of their revenue, whether there are 5 companies or 6 companies it does not make any difference to the Government.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: What is the price of the spectrum?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: The spectrum price is the same for everybody.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सभापति जी, सेल्युलर सर्विस मेरे ख्याल से तकरीबन हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में शुरू हुई है। जम्मू-कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहां यह सर्विस शुरू नहीं हुई है। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी सर्विस वहां शुरू करना चाहती है? अगर करना चाहती है तो कब से करना चाहती है?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, यह सच है कि जम्मू-कश्मीर में यह सेल्युलर सर्विस नहीं थी। सिक्योरिटी के कारण जम्मू-कश्मीर और इशान्य भारत में यह अनुमति नहीं मिली थी लेकिन बहुत प्रयासों के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे एक-दो महीने पहले ही क्लियर किया है। हमें इसकी अनुमति मिली है। यह दो चीजों से होता है। अगर प्राइवेट सैक्टर वाले जम्मू-कश्मीर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमति देने की अलग से प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया हम ने शुरू की है, लेकिन भारत संचार निगम का "सेल वन" जिसे सरकार मार्गदर्शित कर सकती है, उन को हम ने कहा है कि वह जल्द-से-जल्द सेलुलर सर्विस शुरू करे। लेकिन उसके लिए सारे इक्युपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, टावर लगाने पड़ते हैं और इस में समय लगता है। हमारा प्रयास है कि कम-से-कम बैसाखी को जम्मू से कटरा और वैष्णो देवी तक ऊपर व श्रीनगर शहर में यह सर्विस शुरू हो, इस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं।

**425. [The questioner (shri Yadlapati Venkat Rao) was absent. For answer vide page 34]*

Housing Scheme for EPF subscribers

*426. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 303 given in the Rajya Sabha on the 21st November, 2002 and state:

(a) what are the terms of reference of the Committee set up to examine feasibility of the housing scheme for the Members of the Employees Provident Fund;